न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान मंगलाराम बनाम सतीश कुमार

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 181 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्राक एवं दिनाक
12.07.2023	पत्रावली पेश हुई। केवियटकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब स्थगन आवेदन पत्र एवं जवाब दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट की स्वअर्जित संम्पति है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 ने पैतृक संपति होने के मिथ्या कथन किये है। रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम से खरीदशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 13.02.2023 को उपस्थित होकर उसी दिन अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था। एकपक्षीय स्थगन आदेश को 30 दिवस के भीतर निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। अपीलाधीन आक्षेपित आदेश में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया। अपीलांट सं. 2 को अपीलांट सं. 1 से जरिये रजि0 दान पत्र प्रश्नगत भूमि प्राप्त हुई है। रजि0 दस्तावेज को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है उक्त दस्तावेज के प्रभाव में रहते स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट बहस हेतु सदैव तत्पर व तैयार रहा है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को अपनी भूमि के उपयोग व उपभोग में भारी परेसानी हो रही है। दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने दिनांक 13.02.2023 को प्रथम पेशी पर उपस्थिति के साथ जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन रेस्पो0 ने बहस नहीं की। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.03.2023 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

होने के कारण पत्रावली की आगामी तारीख पेशी 27.04.2023 मुकर्रर हुई। दिनांक 27.04.2023 को उक्त पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुई तथा आगामी पेशी 06.07.2023 को मुकर्रर हुई। दिनाक 06.07.2023 को अपीलांट ने बहस करने एवं आक्षेपित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया लेकिन रेस्पो0 ने बहस नहीं की व पत्रावली में फिर आगामी तारीख पेशी 27.07.2023 मुकर्रर की गई। आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.2023 आज भी निरंतरता में प्रभावी है। अपीलांट दिनांक 06.07.2023 तक इस विश्वास व भरोसा में रहा कि रेस्पो0 उक्त पत्रावली में बहस कर देगें तथा उचित निर्णय हो सकेगा। लेकिन दिनांक 06.07.2023 को रेस्पो0 द्वारा बहस नहीं करने पर अपीलांट को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करनी पड़ी, इस कारण अपीलांट अपील प्रस्तुत करने में देरी को माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक संपति है जिसका निर्णय बाद साक्ष्य ही होना है। रेस्पो0 ने बहस हेतु मौका नहीं चाहा है। यदि आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपीलांट प्रश्नगत भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें। दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को आक्षेपित आदेश का ज्ञान दिनांक 13.02.2023 से पूर्व से ही है तथा उक्त अपील सर्वथा मियाद बाहर है। रेस्पो0 ने कभी भी बहस हेतु कोई अवसर नहीं लिया है। अपीलांट का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के योग्य है। अतः अपीलांट का दफा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अपीलांट ने रेस्पो0 की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलांट ने प्रथम पेशी पर ही उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर विवेचन करते हुए उचित आदेश पारित करना चाहिए था। प्रथम पेशी पर जवाब प्रस्तुत करने से ही यह साबित है कि अपीलांट बहस हेतु सदैव तत्पर रहा है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना उचित है। अपीलांट द्वारा प्रथम पेशी दिनांक 13.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलांट स्थगन प्रार्थना पर बहस करने हेतु तैयार रहा है। दिनांक 15.03.2023 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी 27.04.2023 मुकर्रर की गई। दिनांक 27.04.2023 को उक्त पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुई तथा आगामी पेशी 06.07.2023 को मुकर्रर हुई। दिनांक 13.02.2023 के पश्चात पीठासीन अधिकारी व पक्षकारों की उपस्थिति में उक्त पत्रावली दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 06.07.2023 को पत्रावली में बहस सुन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण अपील अंदर मियाद ग्रहण की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था जिसमें उन्होनें प्रश्नगत भूमि का अपीलांट सं0 2 के पक्ष में रजि0 उपहार पत्र होना व अपीलांट सं0 1 के पक्ष में पंजिकृत बैयनामा होने का कथन किया है जिसका कोई खंडन रेस्पो0 ने इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है। आक्षेपित आदेश में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थियों में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.2023 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी अनवानी सतीश कुमार बनाम मंगलाराम प्रकरण सं0 04/2023 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उपयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2023 को उपस्थित हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़